

**Note :** The principal rules were published vide G.S.R. 496(E), dated the 1<sup>st</sup> May, 1989, and subsequently amended vide: G.S.R. 508(E), dated the 23<sup>rd</sup> May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 8<sup>th</sup> March, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 1<sup>st</sup> January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6<sup>th</sup> July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15<sup>th</sup> January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2001, G.S.R. 572(E), dated the 2<sup>nd</sup> August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17<sup>th</sup> October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25<sup>th</sup> July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25<sup>th</sup> July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16<sup>th</sup> October, 2003, G.S.R. 289(E), dated the 13<sup>th</sup> May, 2005, G.S.R. 744(E), dated the 4<sup>th</sup> October, 2011 and G.S.R. 842(E), dated the 25<sup>th</sup> November, 2011.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2012

**सा.का.नि. 319(अ).—** केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IX निर्गम) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IX निर्गम) (संशोधन) नियम, 2012 है।  
(2) ये 01 अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IX निर्गम) नियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 को, नियम 15 के उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनःसंख्यांकित किए गए उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) जहां कोई पत्र 1 अप्रैल, 2012 को या इसके पश्चात् क्रय किया गया है, वहां उसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय पत्र के भुनाए जाने पर संदेय रकम, जिसमें ब्याज सम्मिलित है, 100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए 238.87 रुपये और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी। नीचे सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में पत्र के धारक या धारकों को उद्धृत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में चौथे वर्ष की समाप्ति तक इस प्रकार उद्धृत ब्याज के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका धारक की ओर से पुनः विनिधान किया गया है और पत्र के अंकित मूल्य की रकम के साथ जोड़ दिया गया है।

### सारणी

वर्ष के लिए अर्जित ब्याज	100 रुपये के अंकित मूल्य के पत्र पर उद्धृत होने वाले ब्याज की रकम (रुपये में)
पहला वर्ष	9.10
दूसरा वर्ष	9.93
तीसरा वर्ष	10.83
चौथा वर्ष	11.81
पांचवा वर्ष	12.89
छठा वर्ष	14.06

सातवां वर्ष	15.34
आठवां वर्ष	16.74
नवां वर्ष	18.26
दसवां वर्ष	19.92

टिप्पण: किसी अन्य अंकित मूल्य के किसी पत्र पर उद्धृत होने वाली ब्याज की रकम ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की आनुपातिक होगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 16 में, -

(क) उपनियम (4) को उपनियम (4) के खंड (i) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित किए गए खंड (i) में, "1 दिसंबर 2011" अंकों, शब्दों और अक्षरों के पश्चात्, "किन्तु 1 दिसंबर, 2012 के पूर्व" अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित किए गए खंड (i) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित खंड और सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(v) यदि 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् क्रय किया गया कोई पत्र, पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उपनियम (1) के अधीन भुनाया जाता है, तो संदेय रकम, जिसके अंतर्गत नियम 15 के अधीन उद्धृत ब्याज सम्मिलित है और रियायत के समायोजन के पश्चात्, 100 रुपये के अंकित मूल्य के पत्र के लिए नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगी और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी।

#### सारणी

पत्र की तारीख से उसके भुनाए जाने की अवधि	संदेय रकम जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है (रुपए)
(1)	(2)
3 वर्ष या अधिक, किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम	124.60
3 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 4 वर्ष से कम	129.26
4 वर्ष या अधिक, किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम	134.08
4 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 5 वर्ष से कम	139.09
5 वर्ष या अधिक, किन्तु 5 वर्ष और 6 मास से कम	145.20
5 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 6 वर्ष से कम	150.72
6 वर्ष या अधिक, किन्तु 6 वर्ष और 6 मास से कम	156.45
6 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 7 वर्ष से कम	162.39
7 वर्ष या अधिक, किन्तु 7 वर्ष और 6 मास से कम	168.56
7 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 8 वर्ष से कम	174.97
8 वर्ष या अधिक, किन्तु 8 वर्ष और 6 मास से कम	181.62
8 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 9 वर्ष से कम	188.52
9 वर्ष या अधिक, किन्तु 9 वर्ष और 6 मास से कम	195.68
9 वर्ष और 6 मास या अधिक, किन्तु 10 वर्ष से कम	203.12

## स्पष्टीकारक जापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में सभी संबंधितों को अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस.2 तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01.04.2012 से संशोधित की गई ब्याज-दरों की सूचना अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस.2 (भाग) तारीख 26 मार्च, 2012 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 1/7/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 848 (अ) तारीख 29 नवंबर, 2011 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2012

**G.S.R. 319(E).**— In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (IX Issue) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (IX Issue) (Amendment) Rules, 2012.  
(2) They shall deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2012.
2. In the National Savings Certificates (IX Issue) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), rule 15 shall be renumbered as sub-rule (1) of rule 15 and after sub-rule (1), as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) Where a certificate has been purchased on or after the 1<sup>st</sup> day of April, 2012 the amount inclusive of interest, payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs 238.87 for denomination of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomination. The interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificate of Rs. 100 denomination
First Year	9.10
Second Year	9.93
Third Year	10.83
Fourth Year	11.81
Fifth Year	12.89
Sixth Year	14.06

Seventh Year	15.34
Eighth Year	16.74
Ninth Year	18.26
Tenth Year	19.92

Note: The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above".

3. In rule 16 of the said rules,

(a) sub-rule (4) shall be renumbered as clause (i) of sub-rule (4), and in clause (i) as so renumbered, after the figures, letters and words "1<sup>st</sup> day of December, 2011", the words, figures and letters "but before the 1<sup>st</sup> day of April, 2012" shall be inserted;

(b) after clause (i) as so renumbered and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"(ii) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after the expiry of three years from the date of certificate purchased on or after the 1<sup>st</sup> day of April 2012, the amount payable, inclusive of interest accrued under rule 15 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below for a certificate of Rs. 100 denomination and at a proportionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE

Period from the date of the certificate to the date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
3 years or more, but less than 3 years and 6 months	124.60
3 years and 6 months or more, but less than 4 years	129.26
4 years or more, but less than 4 years and 6 months	134.08
4 years and 6 months or more, but less than 5 years	139.09
5 years or more, but less than 5 years and 6 months	145.20
5 years and 6 months or more, but less than 6 years	150.72
6 years or more, but less than 6 years and 6 months	156.45
6 years and 6 months or more, but less than 7 years	162.39
7 years or more, but less than 7 years and 6 months	168.56
7 years and 6 months or more, but less than 8 years	174.97
8 years or more, but less than 8 years and 6 months	181.62
8 years and 6 months or more, but less than 9 years	188.52
9 years or more, but less than 9 years and 6 months	195.68
9 years and 6 months or more, but less than 10 years	203.12

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Budget Division) vide its O.M. No. 6-1/2011-NS.II (Pt.) dated 11<sup>th</sup> November, 2011 has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of

National Small Savings Fund (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2012-13 revised with effect from 01.04.2012, have been communicated vide its O.M. No. 6-1/2011-NS-II(Pt.) dated 26<sup>th</sup> March, 2012. It is certified that the interests of no deposit holder would be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 1/7/2011-NS-II]

M. A. KHAN, Under Secy.

Note : The Principal rules were published vide G.S.R. 848(E), dated the 29<sup>th</sup> November, 2011.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 320(अ).— केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2012 है।  
(2) ये 01 अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 (इन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 में-

(क) उक्त नियम की अनुसूची में, - (i) उपनियम 1 के खंड (क) में, अंतिम प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

1.12. 2011 से 31.3.2012 (जिसमें दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)	738.62
1.4.2012 से आगे	746.51 ";

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) में, अंतिम प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1.12. 2011 से 31.3.2012 (जिसमें दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)	738.62
1.12.2011 से आगे	746.51

3. उक्त नियम के नियम 10 के उपनियम (2) की मद (क) और (ग) में, "सारणी 1, 2, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41 या 44" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सारणी 1, 2, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 या 47" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 11 के उपनियम (2) की मद (ख) और (ग) में, "सारणी 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42 या 45" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सारणी 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 या 48" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 12 में, -

(क) उपनियम (1) में, मद (ख) में, उप-मद (ii) में, "सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19,

1454GI/12-2